न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व अहकाम जो की तामील हुए	तारीख इस हुक्म में जारी

हरकण्डी बनाम कैलाश

मु.नं.– 55/23 किस्म – 251 क

12 फीट रास्ता प्रार्थी को दिलवाये। आपत्ति, जवाब आपत्ति तथा प्रार्थी अभिभाषक को अवलोकन एवं मनन किया। प्रार्थी की आपत्ति खारिज योग्य होने के कारण आपत्ति को खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 क RTA दिनांक 17.4.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

17/4/25 पीठासीन अधिकारी जिला-स्तरीय जन-सुनवाई में व्यस्त होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक-22/4/25 को पेश हो।

22/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
55/2023	21.12.2023	22.04.2025

1. घमण्डी पुत्र सरवण, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. महेश पुत्र टीकाराम, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
3. राजेश पुत्र मूल्या, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र किशना, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. बदरी पुत्र किशना, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
3. मुकेश पुत्र किशना, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
4. रामदयाल पुत्र किशना, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
5. फूली पुत्री किशना पत्नी बत्तीलाल, निवासी समलेटी, तहसील महवा जिला दौसा।
6. लाडबाई पुत्री किशना पत्नी जगदीश, निवासी अमरपुर, तहसील रैणी जिला अलवर।
7. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावर जिला दौसा।
8. राज. सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मण्डावर, जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री भुवनेश त्रिवेदी।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 04 – श्री हरीसिंह मीना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के आराजी खसरा सं. 358 रकबा 0.23 हैक्टे., 417 रकबा 0.40 हैक्टे., 419 रकबा 0.55 हैक्टे., 420 रकबा 0.24 हैक्टे. कुल किता 4 कुल रकबा 1.42 हैक्टे. एवं खसरा सं. 418 रकबा 0.03 हैक्टे., गै.मु. कुआ ग्राम सरावली, पटवार हल्का जटवाडा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि को आने जाने हेतु प्रार्थीगण को कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता रिकार्ड में व मौके पर मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण के उक्त खेत खसरा सं. 419, 420 व 418 को जाने के लिये रास्ता खसरा सं. 414 रकबा 0.65 हैक्टे. ग्राम सरावली, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में होकर स्थित है। प्रार्थीगण ने खसरा सं. 419, 420 व 418 में जाने के लिये कोई रास्ता मौके पर एवं रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। सभी काश्तकारों ने फसल की सुरक्षा के लिये अपने अपने खेतों में फसल के लिये तार लगा दिये है, इसलिये अपने खेत पर पहुंचना बहुत कठिन, असुविधाजनक व पीडाजनक हो गया है। मौके पर प्रार्थीगण के खेत पर पहुंचने के लिये खसरा सं. 414 के पूर्वी

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

दिशा की डोल के पास होकर 12 फीट का रास्ता मिल जाये तो प्रार्थीगण बिना किसी विघ्न बाधा के अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंच जायेगा। खसरा सं. 414 कच्चा रास्ता जो नहर से लेकर सरावली चौराहे तक जा रहे चालू कच्चा रास्ता पर स्थित है। प्रार्थीगण को खसरा सं. 414 में होकर 12 फीट का रास्ता मिल जाये तो प्रार्थीगण को कोई असुविधा नहीं होगी। प्रार्थीगण नियमानुसार उचित मुआवजा राशि अप्रार्थीगण को डीएलसी के अनुसार अदा करने को तैयार हैं। यदि अप्रार्थीगण 12 फीट भूमि के स्थान पर भूमि लेना चाहे तो प्रार्थीगण भूमि के बदले में भूमि देने के लिये तैयार है। अन्य कोई शर्त अदालत अधिरोपित करें, उसकी भी पालना करने को तैयार है। अतः निवेदन है कि खसरा सं. 414 जो अप्रार्थीगण की खातेदारी का नम्बर है, में से पूर्वी दिशा की तरफ 12 फुट का रास्ता अप्रार्थीगण से दिलाने की कृपा करें व खसरा सं. 414 की 12 फुट भूमि की किस्म गै. मु. रास्ता करने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद तामील, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 8 की ओर से कोई न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जवाब का अवसर बंद किया गया।

3. अप्रार्थी सं. 4 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अप्रार्थी सं. 4 को सिलिकोसिस की बीमारी है, इसलिये तबीयत खराब होने के कारण वह प्रकरण में नियत तारीख पेशी दिनांक 03.09.24 को मजबूरीवश उपस्थित नहीं हो सका। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का जवाब दिये बिना ही बहस करने हेतु निवेदन किया जिसको स्वीकार किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 4 के द्वारा बीमारी बाबत कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। पत्रावली, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया तथा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 अस्वीकार किया गया।

4. तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट दिनांक 29.11.24 प्रस्तुत की गयी कि खसरा सं. 358, 417, 419, 420 कुल किता 4 रकबा 1.42 हैक्टे. की खातेदारी कमलेश, कौशल्या, नेमीचन्द पि. रामेश्वर महेश पुत्र टीकाराम, प्रेगदेवी पत्नि मूल्या, कान्ता, राजेश पि. मूल्या सोनबाई पत्नि सरवन, घमण्डी, शिवली वि. सरवन जाति मीना निवासी सरावली के रिकॉर्ड दर्ज है। आवेदक के उक्त खसरा सं. 358, 417, 419 एवं 420 को जाने हेतु खसरा सं. 414 से रास्ता पूर्वी दिशा से 12 फीट चाहा गया है परन्तु खसरा सं. 414 तक जो रास्ता गाँव सरावली से नहर को जाता है, जो कि कच्चा एवं अस्थाई (मौसमी) है, जिसके लिए राजस्व रिकॉर्ड में अलग से क्षेत्रफल नही कटा हुआ है एवं खसरा सं. 414 के पूर्वी दिशा में पक्की पाटोल बनी हुई है जिसकी खातेदारी कैलाशी, फूली, बद्री मुकेश, रामदयाल, लाडबाई पि. किशना जाति मीना निवासी सरावली के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण खसरा सं. 414 में पूर्वी दिशा में 12 फीट रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे किस्म गै. मु. रास्ता दर्ज करवाना चाहता है परन्तु वर्तमान में खसरा सं. 414 तक कोई रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है व खसरा सं. 414 में पूर्वी दिशा में पक्की पाटोल बनी हुई है। उक्त भूमि के लिए खसरा सं. 414 की पश्चिमी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

दिशा में मौके पर मौसमी रास्ता है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, के अनुसार प्रस्तावित किया गया है जबकि आवेदक द्वारा खसरा सं. 414 की पूर्वी दिशा में चाहा गया है। प्रस्तावित रास्ता खसरा सं. 414 की पश्चिमी दिशा से 12 फीट चौडा एवं खसरा नम्बर 419 तक 369 फीट लम्बा है जिसका कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर प्रस्तावित है जिसके पक्ष में उन्होंने नक्शा ट्रेस व संवत् 2072—2075 की जमाबंदी प्रस्तुत की।

5. तहसीलदार मण्डावर की उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 29.11.24 पर प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि तहसीलदार मण्डावर द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया है, वह तरफ पश्चिम दिशा में होकर बताया है जबकि रास्ता पूर्व दिशा में होकर दिलवाया जावे। पाटौल के पास 7 फीट रास्ता दिया जावे व आगे पीछे 12 फीट का रास्ता दिया जावे। प्रार्थीगण अपने कुँए पर पहुँच जायेंगे तो पूर्णतया न्याय हो जायेगा।

6. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का तहसीलदार मण्डावर के द्वारा दिनांक 01.04.2025 को जबाव प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा सरावली के खसरा सं. 414 के पश्चिम दिशा के बजाय पूर्वी दिशा में होकर खसरा सं. 418, 419, 420 को पहुँच मार्ग (रास्ता) चाहा गया है जिसके सम्बन्ध में पूर्व में पेश की गयी रिपोर्ट में पूर्वी दिशा में पक्की पाटौल होना बताया गया था एवं वर्तमान में भी मौके पर खसरा सं. 414 की पूर्वी सीमा पर दोनों छोर पर पाटौल बने होने के कारण पूर्वी दिशा में रास्ता प्रस्तावित किया जाना उचित नहीं बताया गया। उक्तानुसार प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति खारिज की गई।

7. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र को निर्णीत किया जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का, तहसीलदार मण्डावर की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.11.24 एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस अभिभाषक प्रार्थीगण पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क में प्रावधान है कि :

251—क. अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन विछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना (1) जहाँ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है; या

(ख) कोई अभिघारी या अभिघारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है—

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिघारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिघारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जाँच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि—

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है—

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिघारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिघारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिघारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे ।

8. तहसीलदार मंडावर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत तक पहुँचने के लिए खसरा सं. 414 के पूर्वी तरफ से 12 फीट का रास्ता चाहा गया है, उस मार्ग पर पक्की पाटोल बनी हुई है। रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खेत तक पहुँचने के लिए खसरा सं. 414 के पश्चिम की तरफ से मौसमी वैकल्पिक रास्ता प्रचलन में है अर्थात प्रार्थीगण के पास अपनी जोत तक जाने के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता होने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत तक पहुँचने के लिए खसरा सं. 414 के पूर्वी तरफ से चाहे गये मार्ग की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा खेत तक पहुँचने के लिए खसरा सं. 414 के पूर्वी तरफ से चाहा गया मार्ग राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

9. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर(दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 22.04.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर(दौसा)